राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांकः एफ 25(74)पार्ट–I/परि/कम्प्यू./2016/3308 जयपुर,दिनांकः 14/02/18

कार्यालय आदेश 3/2018

विभाग द्वारा वेब आधारित 'सारथी 4.0' का क्रियान्वयन चयनित कार्यालयों में प्रारंभ कर दिया गया है एवं शेष सभी कार्यालयों का इसका क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है। 'सारथी 4.0' के द्वारा अधिकृत मोटर ड्राईविंग स्कूलों द्वारा लर्निंग लाईसेंस जारी किये जाने क़ी प्रक्रिया को भी ऑनलाईन किया गया है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में यह लाया गया है कि कुछ कार्यालयों द्वारा स्थाई लाईसेंस जारी किये जाने के समय आवेदक को जारी किये गये लर्निंग लाईसेंस एवं लर्निंग लाईसेंस को प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये गये आयु एवं निवास संबंधि दस्तावेजों का पुनः सत्यापन किया जा रहा है। अतः 'सारथी 4.0' के द्वारा स्थाई लाईसेंस जारी किये जाने के समय दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं –

1. प्रादेशिक/जिला/उप परिवहन कार्यालयों से 'सारथी 4.0' के द्वारा जारी लर्निंग लाईसेंस के सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। स्थाई लाईसेंस के लिए आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में यदि लर्निंग लाईसेंस प्रादेशिक/जिला/उप परिवहन कार्यालयों द्वारा 'सारथी 4.0' के माध्यम से जारी किया गया हो तो लर्निंग लाईसेंस जारी करने के समय प्रस्तुत किये गये आयु एवं निवास संबंधि दस्तावेजों का पुनः सत्यापन करने की आवश्यकता भी नहीं है। उक्त दस्तावेजों की पुनः जांच तभी की जावे जबकि आवेदक द्वारा लर्निंग लाईसेंस में किसी प्रकार का संशोधन चाहा गया हो।
2. स्थाई लाईसेंस हेतु आवेदन प्राप्त होने पर यदि लर्निंग लाईसेंस अधिकृत मोटर ड्राईविंग स्कूलों द्वारा 'सारथी 4.0' के माध्यम से जारी किया गया हो तो लर्निंग लाईसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये आयु एवं निवास संबंधि दस्तावेजों का पुनः सत्यापन parivahan.gov.in पोर्टल पर किया जावे। यह सत्यापन निम्नानुसार किया जा सकता है –

   Driving Licence → upload Documents → View Documents के विकल्प द्वारा

   अथवा

   https://parivahan.gov.in/sarathiservice3/viewDocuments.do

   पर लर्निंग लाईसेंस का एप्लीकेशन क्रमांक एवं आवेदक की जन्मतिथी प्रविष्ठ कर।
3. अधिकृत मोटर ड्राईविंग स्कूलों द्वारा जारी किये गये लर्निंग लाईसेंस में प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य उसी कार्यालय द्वारा किया जावे जिस कार्यालय से आवेदक को स्थाई लाईसेंस जारी किया जाना है। उदाहरणार्थः यदि आवेदक द्वारा स्थाई लाईसेंस के लिए जगतपुरा कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो दस्तावेजों के सत्यापन हेतु झालाना डूंगरी कार्यालय नहीं भेजा जाकर बिंदु संख्या 2 में वर्णित प्रक्रियानुसार सत्यापन का कार्य जगतपुरा कार्यालय से ही किया जावे।

उक्त आदेशों की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित की जावे।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
~~परिवहन आयुक्त एवं~~
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांकः एफ 25(74)पार्ट–I/परि/कंप्यू./2016/3309-3313 जयपुर, दिनांकः– 14/02/18

1. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण ....।
3. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी.....................................।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

Scanned by CamScanner